रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 509] नई दिल्ली, वीरवार, अक्तूबर 6, 1988/आश्विन 14, 1910
No. 509] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 1988/ASVINA 14, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1988

उत्तर प्रदेश में दून घाटी में उद्योग लगाने, खनन कार्य करने तथा अन्य विकासीय कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3(2) (5) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5(3), (क) के तहत अधिसूचना

का.आ. 923(अ).—चूंकि उत्तर प्रदेश में दून घाटी में औद्योगिकीकरण, खनन कार्यों, वन कटाई, अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियों, अत्यधिक चराई आदि के कारण काफी अधिक पर्यावरणीय आक्रमण हुआ है;

चूंकि पर्यावरणीय प्रबंध के लिये मार्ग-दर्शी सिद्धांत निर्धारित करने तथा पारिस्थितिकीय को कम से कम क्षति पहुंचाकर दून घाटी का आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिये, केन्द्र सरकार ने अगस्त, 1981 में दून घाटी बोर्ड का गठन किया था और चूंकि बोर्ड ने अपनी छठी बैठक में यह सिफारिश की थी कि दून घाटी को पारिस्थितिकीय दृष्टि से कमजोर क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली कतिपय गतिविधियों पर निषेध/प्रतिबंध लगाने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3(2)(5) के तहत अधिसूचना जारी करने पर विचार किया जाना चाहिए।

अतः अब दून घाटी के कमजोर पारिस्थितिकी को देखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि विकासीय गतिविधियां पर्यावरणीय संरक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल हों, केन्द्र सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 उपधारा (2) खंड (5) के तहत दून घाटी जो कि उत्तर में मसूरी पर्वत श्रेणी, उत्तर-पूर्व में निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला से दक्षिण-पश्चिम में शिवालिक पर्वत श्रृंखला से, दक्षिण-पूर्व में गंगा नदी से और उत्तर पश्चिम में यमुना नदी से घिरी है, में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना समीचीन है:

1 औद्योगिक इकाइयों का स्थान निर्धारण—यह कार्य अनुबंध में दिये गये मार्ग-दर्शी सिद्धांतों अथवा पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए।

2 खनन—किसी भी खनन कार्य को आरम्भ करने से पहले केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

3. पर्यटन—यह राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई तथा इसे केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत की गई पर्यटन विकास योजना (टी.डी.पी.) के अनुसार होना चाहिए।

4. चराई—राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली तथा केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विधिवत स्वीकृत की गई योजना के अनुसार।

5. भूमि उपयोग—पूरे क्षेत्र के विकास की वृहद योजना तथा भूमि उपयोग योजना के अनुसार जिसको राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाए या तथा केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध कोई आपत्ति उठाना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अपना आक्षेप, सचिव, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है।

[सं. जे. 20012/38/86-आई.ए.]

क. पा. गीताकृष्णन, सचिव

अनुबंध

दून घाटी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की अनुमति देने/प्रतिबंध लगाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से दून घाटी में औद्योगिक इकाइयों को अनुमति देने/प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से नीचे बताए अनुसार, हरी, संतरी, और लाल श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा।

श्रेणी हरी

क. अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में उन उद्योगों की सूची जिनपर पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजे बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीधे विचार किया जा सकता है। (संदेह होने पर, पर्यावरण विभाग को संदर्भ भेजा जायेगा)

1. सभी ऐसे गैर हानिकारक और गैर खतरनाक उद्योग जिनमें लगभग 100 व्यक्ति नियोजित हों, हानिकर तथा खतरनाक वे उद्योग हैं जो ज्वलनशील, विस्फोटक, क्षयकारी या विषैले पदार्थों का उपयोग कर रहे हों।

2. ऐसे सभी उद्योग जो प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक बहिस्राव विसर्जन नहीं करते हैं और जो निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसी को नहीं करते हैं।

एलेक्ट्रोप्लेटिंग

गालवेनाइजिंग

ब्लीचिंग

डिग्रीजिंग

फास्फेटिंग

रंगाई

पिकलिंग, चर्मशोधन

पालिश करना

रेशा पकाना और डाइजेस्टिंग

फैब्रिक की डिजायनिंग

धागों का विरंजन, मर्सराइज करना, विवर्णन तथा चर्म-मुक्त वस्त्र धुलाई

फलों और सब्जियों की सजावट, धोना, रस निकालना और विवर्ण करना,

उपकरणों और फर्श की नियमित धुलाई,

अधिक से अधिक जमने वाले जल का प्रयोग करना।

सपरेटा दूध, छाछ और दही का पानी

अनाज भराई और प्रसंस्करण करना

एल्कोहल का डिस्टिलेशन, धानी वाष्पीकरण

पशुओं को मारना/ हड्डियों की रेंडरिंग,

मांस की धुलाई, गन्ने का रस निकालना,

चीनी फिल्ट्रेशन का निकाला जाना,

सेंट्रिफ्यूजेशन, डिस्टिलेशन

काफी बीजों की पल्पिंग और फारमेंटिंग

मछली प्रसंस्करण

20 कि.लि. प्रतिदिन क्षमता से अधिक डी. एम. संयंत्रों में फिल्टर बैक वाश।

लुगदी तैयार करना, लुगदी प्रसंस्करण और पेपर बनाना।

ब्लास्ट भट्टी फ्लू गैसों की कोयला धुलाई की कोकिंग।

आक्साइड की स्ट्रिपिंग,

हाइड्रोलिक उत्सर्जन द्वारा प्रयुक्त बदन की धुलाई

लेटेक्स आदि की धुलाई।

साल्वेंट निष्कर्षण।

3. ऐसे सभी उद्योग जो अपने उत्पादन प्रक्रिया या किसी सहायक प्रक्रिया में ईंधन का इस्तेमाल ही करते हैं तथा जो विसरित स्वरूप के फ्यूजिटिव उत्सर्जनों को नहीं छोड़ते हैं।

तीन माप दंडों में से किसी एक को पूरा न करने वाले उद्योगों की सिफारिश पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाती है।

निम्नलिखित उद्योग गैर-खतरनाक, अहितकर और गैर-प्रदूषक श्रेणी में आते हैं बशर्ते कि वे उपरोक्त तीन शर्तों को पूरा करते हों।

1. आटा चक्कियां
2. चावल मूसली
3. बर्फ रखने के डिब्बे
4. दाल मिलें
5. मूंगफली की छाल निकालना (शुष्क)
6. द्रुत शीतन
7. कपड़े सिलाई और वस्त्र बनाना
8. वेष-भूषा बनाना
9. सूती और ऊनी होजरी
10. हथकरघा से बुनाई
11. जूते के तसमें बनाना
12. सोना और चांदी के धागे और साड़ी का काम
13. सोना और लोहारगिरी
14. चमड़े के जूते और चमड़े का सामान चर्मशोधन और खाल प्रसंस्करण को छोड़कर,

15. शीट ग्लास और फोटो फ्रेम से शीशा बनाना

16. संगीत संबंधी उपकरणों का उत्पादन

17. खेल संबंधी वस्तुएं

18. बांस और बेंत उत्पादन (केवल शुष्क कार्य)

19. गत्ता और कागज उत्पादन (कागज और लुगदी उत्पादन को छोड़कर)

20. पृथक्करण और अन्य कोटेड कागज (कागज और लुगदी उत्पादन को छोड़ दिया गया है)

21. वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण

22. फर्नीचर (लकड़ी और इस्पात के)

23. घरेलू विद्युतीय उपकरणों का सज्जीकरण

24. रेडियो सज्जीकरण

25. फाउन्टेनपेन

26. एक्स्ट्रूशन/मोल्डिंग के जरिए पोलीथीन, प्लास्टिक और पी वी सी वस्तुएं

27. सर्जिकल गौजेज तथा बैंडेज

28. रेलवे स्लीपर (केवल कंक्रीट)

29. सूत कताई और बुनाई

30. रस्सी (सूती तथा प्लास्टिक)

31. कार्पेट बुनाई

32. वातानुकूलनों का सज्जीकरण

33. धातुओं से तार, एक्सट्रूडेट शेप के पाइप बनाना

34. आटोमोबाइल सेवा और मरम्मत केन्द्र

35. साइकिल, बच्चा-गाड़ी और अन्य छोटे-मोटर वाहनों का सज्जीकरण

36. इलेक्ट्रानिक उपकरण (सज्जा)

37. खिलौने

38. मोमबत्तियां

39. बढ़ईगिरी-आरा मिल को छोड़कर

40. शीत भंडारण (छोटे पैमाने पर)

41. रेस्तरां

42. तेल-औटाई/निकालना (गैर-हाईड्रोजेनेशन और कोई परिष्करण नहीं)

43. आइस-क्रीम

44. खनिजीकृत जल

45. जाबिंग और मैचनिंग

46. इस्पात के टंकों और सूटकेसों का निर्माण

47. पेपर पिन और यू-क्लिपें

48. ब्लाक बनाना और मुद्रण करना

49. ऐनकों के फ्रेम

श्रेणी लाल

ख. उपयुक्त पर्यावरणीय नियंत्रण प्रबंधों के साथ उन उद्योगों की सूची जिन्हें दून घाटी में अनुमति दी जा सकती है।

1. ऐसे सभी उद्योग जो कुछ द्रव्य बहिस्राव छोड़ते हैं (प्रतिदिन 500 किलो. से कम, जिन्हें उपयुक्त परख प्रौद्योगिकी से नियंत्रित किया जा सकता है।

2. ऐसे सभी उद्योग जिनमें कोयला/ईंधन की दैनिक खपत 24 मीटरी टन प्रति दिन से कम है और उपयुक्त परख प्रौद्योगिकी के साथ उत्सर्जनों को नियंत्रित किया जा सकता है।

3. ऐसे सभी उद्योग जिनमें 500 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति रोजगार में न हों।

परखी गई प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी को अपनाकर निम्नलिखित उद्योग इस श्रेणी में आते हैं बशर्ते कि वे उपर्युक्त तीन शर्तों को पूरा करते हों:

1. चूना उत्पादन--परखे गए प्रदूषणनियंत्रण उपाय पर केंद्रित निर्णय, तथा उत्खनन पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2. मृत्तिका-शिल्प:

3. सफाई के बर्तन

4. टायर और ट्यूब

5. रिफ्यूज इनसाइनरेशन (नियंत्रित)

6. आटा मिलें

7. वनस्पति तेल जिसमें विलायक अर्क तेल भी शामिल है

8. वाष्प क्वथन प्रक्रिया और सिंथेटिक डिटर्जेंट फार्मूलेशन के बिना साबुन

9. वाष्प पैदा करने वाले संयंत्र

10. कार्यालय और घरेलू उपकरणों का उत्पादन जिनमें जीवाश्म ईंधन ज्वलनशील का प्रयोग शामिल हो।

11. मशीनियरी तथा मशीन के औजारों और उपकरणों का उत्पादन

12. औद्योगिक गैसें (केवल नाइट्रोजन, आक्सीजन और कार्बनडाई-आक्साइड)

13. जीवाश्म ईंधन ज्वलनशील के उपयोग के बिना विविध कांच के बर्तन

14. ऐनक का शीशा

15. प्रयोगशाला के बर्तन

16. पेट्रोलियम भंडारण एवं हस्तांतरण सुविधाएं

17. शल्य और चिकित्सा उत्पाद, जिनमें रोगनिरोधी और लेटेक्स उत्पाद शामिल हैं।

18. जूते (रबड़)

19. बेकरी उत्पाद, बिस्कुट और मिष्ठान

20. इंस्टेंट चाय/काफी, काफी प्रसंस्करण

21. माल्टेड खाद्य

22. बिजली से चलने वाले पंपों, कंप्रेसरों, रेफ्रिजरेशन यूनिटों, अग्नि शमन उपकरण आदि का उत्पादन,

23. तार खींचना (शीत प्रक्रिया) तथा बेलिंग स्ट्रिप

24. इस्पात के फर्नीचर, कसनी आदि

25. संसाधित प्लास्टिक वस्तुएं

26. चिकित्सा और शल्य उपकरण

27. एसिटिलीन (सिंथेटिक)

28. ग्लू और जेलेटिन

29. पोटाशियम परमैंगनेट

30. धात्विक सोडियम

31. फोटोग्राफिक फिल्में, पेपर और फोटोग्राफिक रसायन

32. सतही कोटिंग उद्योग

33. फ्रेगनेसिस, फ्रेगोरस और खाद्य भोज्य

34. प्लांट न्यूट्रियंट्स (केवल खाद)

35. वातित जल/नरम पेय

टिप्पणी :

(क) उपर्युक्त अभिनिर्धारित सूची में आने वाले उद्योगों का मूल्यांकन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जायगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से पहले केन्द्रीय पर्यावरण विभाग को विचारार्थ भेजे जाने चाहिए।

(ख) ईंधन का प्रयोग करने वाले कुल उद्योगों को मंजूर जिन्हें इस घाटी में अनुमति दी जाएगी, की क्षमता प्रतिदिन 8 टन या सभी स्रोतों से सल्फर डाई आक्साइड सीमित रखी जायेगी। (यह 1 प्रतिशत सल्फर सहित प्रतिदिन 400 टन कोयले के अनुरूप है)

(ग) औद्योगिक क्षेत्रों का स्थान निर्धारण सुदृढ़ मापदंड पर आधारित होना चाहिए।

श्रेणी लाल

ग. उन उद्योगों की सूची, जिन्हें दून घाटी में अनुमति नहीं दी जा सकती है।

1. वे सभी उद्योग जो प्रतिदिन 500 कि. ली. से अधिक की दर से प्रदूषक स्वरूप के बहिस्रावों का विसर्जन करते हों और जिनके लिए पर्याप्त अवमिश्रण के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

2. ऐसे सभी उद्योग, जिनमें 500 कर्मचार प्रति दिन से अधिक नियोजित हों.

3. ऐसे सभी उद्योग, जिनमें कोयला/ईंधन की दैनिक खपत 24 मी. टन/ 3 दिन से अधिक न हो।

ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित उद्योग अधिकतर सभी बिंदुओं द्वारा इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं:—

1. फेरस और नान-फेरस धातु निष्कर्षण, प्रसंस्करण ढांचा बनाना, गढ़ाई सम्मिश्रण प्रसंस्करण आदि।

2. शुष्क कोयला प्रसंस्करण/खनिज प्रसंस्करण उद्योग जैसे अयस्क सिटरिंग बेनिफिकेशन पेलिटाइजेशन आदि।

3. फास्फेट राक प्रोसेसिंग संयंत्र

4. स्यात रोटरी भट्टी सहित सीमेंट संयंत्र

5. सीसा और सीसा उत्पाद जिसमें कोयले का उपयोग शामिल हो।

6. पेट्रोलियम रिफाइनरी

7. पेट्रो-रसायन उद्योग

8. चिकनाई करने वाले तेल और ग्रीस का उत्पादन

9. कृत्रिम रबड़ उत्पादन

10. कोयला तेल, लकड़ी या अणु आधारित ताप विद्युत संयंत्र

11. औद्योगिक प्रयोजनों के लिए वनस्पति, हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति तेल

12. चीनी मिलें (सफेद और खांडसारी)

13. वस्तकारी पेपर मिलें,

14. कोक ओवन बाई प्रोडक्ट्स एंड कोलटर डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स

15. क्षारीयता

16. कास्टिक सोडा

17. पोटाश

18. इलेक्ट्रो-थर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक कैल्शियम कार्बाइड आदि)

19. फास्फोरस और इसके मिश्रण

20. अम्ल और उनके लवण (कार्बनिक और अकार्बनिक)

21. नाइट्रोजन मिश्रण (साइनाइड्स, साइनामाइड्स और अन्य नाइट्रोजन मिश्रण)

22. विस्फोटक (जिसमें औद्योगिक विस्फोटक, डाइट और फ्यूज) शामिल है।

23. केमिक एनहाइड्राइड

24. प्रक्रियाएं, जिनमें क्लोरीनेटेड हाईड्रोकार्बन शामिल हों।

25. क्लोरीन फ्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन और उनके मिश्रण

26. उर्वरक उद्योग

27. पेपर बोर्ड और स्ट्रा बोर्ड

28. कृत्रिम रेशे,

29. कीटनाशी दवाइयां, फफूंदनाशी, शाकनाशी तथा जीवनाशी (मूल उत्पादन एवं तैयार करना)

30. बुनियादी नशीली औषधियां

31. ऐलकाहल (औद्योगिक और पेय)

32. चमड़ा उद्योग और जिसमें चर्मशोधन और प्रसंस्करण शामिल है।

33. कोक तैयार करना, कोयला परिशोधन और ईंधन गैस तैयार करने वाले उद्योग

34. फाइबर शीशा उत्पादन और प्रसंस्करण

35. लुगदी-लकड़ी लुगदी मैकेनिकल और रसायनिक (जिसमें घुलनशील लुगदी शामिल है)

36. रंग अथवा रंगाई और उनके मध्यवर्ती

37. औद्योगिक कार्बन (ग्रेफाइट, इलैक्ट्रोड्स, एनोड्स मिजेड एलक्ट्रोड्स ग्रेफाइट ब्लाक, ग्रेफाइट क्रूसिबल्स, गैस कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन, कृत्रिम हीरे, कार्बन काला, चैनल काला, लैंप काला आदि सहित)

38. इलेक्ट्रो-रसायन (क्षारीय समूह के अन्तर्गत आने वालों को छोड़कर)

39. रंग, एनेमेल्स और वार्निश

40. पोलीप्रोपलीन

41. पोली विनेल क्लोराइड

42. प्रदूषण नियंत्रण पर परख प्रौद्योगिकी की लक्षित प्रमाणन वर्टिकल शाफ्ट भट्ठा प्रौद्योगिकी सहित सीमेंट)

43. क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स तथा पेरोक्साइड

44. पालिश

45. कृत्रिम राल और प्लास्टिक उत्पाद।

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT,

FORESTS AND WILDLIFE

New Delhi, the 6th October, 1988

NOTIFICATION UNDER SECTION 3(2) (v) of Environment (Protection) Act, 1986 and Rule 5 (3) (a) of Environment (Protection) Rules, 1986, restricting location of industries, mining operations and other developmental activities in the Doon Valley in Uttar Pradesh

S.O. 923(E).—Whereas considerable environmental degradation has taken place in the Doon Valley in Uttar Pradesh on account of industrialisation, mining operations, deforestation, unrestricted tourism activities, excessive grazing etc. ;

Whereas to lay down guidelines for environmental management and to ensure that economic development of the Doon Valley is achieved with minimum ecological disturbances, the Central Government had constituted Doon Valley Board in August 1981, and whereas the Board in its 6th meeting had recommended that the Doon Valley should be declared as ecologically fragile area and consideration of issue Notification under section 3(2) (v) of Environment (Protection) Act, 1986, for prohibiting|restricting certain activities which have detrimental effect on the environment.

Now, therefore, considering the fragile eco-systems of the Doon Valley and to ensure that development activities are consistent with principles of environmental conservation, it appears to the Central Government that it is expedient to impose restrictions under clause (v), sub-secion (2) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986 on the following activities in the Doon Valley, bounded on the north by Mussorie ridge line, in the north-east by Lesser Himalayan ranges, on the South-West by Shivalik ranges, river Ganga in the South-East and river Yamuna in the North-West :

(i) Location|siting of industrial units—It has to be as per guidelines given in the annexure or guidelines as may be issued from time to time by the Ministry of Environment & Forests, Goveenmrnt of India.

(ii) Mining—Approval of the Union Ministry of Environment and Forests must be obtained before starting any mining activity.

(iii) Tourism—It should be as per Tourism Development Plan (TDP), to be prepared by the State Department of Tourism and duly approved by the Union Ministry of Environment and Forests.

(iv) Grazing—As per the plan to be prepared by the State Government and duly approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

(v) Land Use—As per Master Plan of development and Land Use Plan of the entire area, to be prepared by the State Government and approved by the Union Ministry of Environment & Forests.

It is notified under clause (b), sub-rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Rules, 1986, that any person interested in filling an objection against the imposition of such restriction may do so in writing to the Secretary, Department of Environment, Forests and Wildlife, New Delhi, within sixty days from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. J. 20012/38/86-IA]
K. P. GEETHAKRISHNAN, Secy.

GUIDELINES FOR PERMITTING|RESTRICTING INDUSTRIAL UNITS IN THE DOON VALLEY AREA

Industries will be classified under Green Orange and Red Categories, as shown below for purposes of permitting|restricting such industrial unts in the Doon Valley from the environmental and ecological consideration.

CATEGORY GREEN

A. LIST OF INDUSTRIES IN APPROVED INDUSTRIAL AREAS WHICH MAY BE DIRECTLY CONSIDERED FOR ISSUE OF NO OBJECTION CERTIFICATE WITHOUT REFERRING TO (MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS) (IN CASE OF DOUBTS REFERENCE WILL BE MADE TO DOON.)

1. All such non--obnoxious and non-hazardous industries employing upto 100 persons. he abnoxious and hazardous industries are those using inflammable, explosive, corrosive or toxic substances.

2. All such industries which do not discharge industrial effluents of a polluting nature and which do not undertake any of the following processes :

Electroplating

Galvanizing

Bleaching

Degreasing

Phosphating

Dyeing

Pickling, tanning

Polishing

Cooking of fibers and Digesting hides

Desizing of Fabric

Unhairing, Soaking, delining and bating of Washing of fabric

Washing of fabric

Trimming, pulling, juicing and blancing of fruits and Vegetables

Washing of equipment and regular floor washing, using of considerable cooling water.

Separated milk, butter milk and whey

Stopping and processing of grain

Distillation of alchohol, stillage evaporation

Slaughtering of animals, rendering of bones, washing of meat

Juicing of Sugar cane, extraction of sugar Filteration, centriffugation, distillation

Pulping and farmenting of coffee beans

Processing of fish

Filter back wash in D. M. Plants exceeding 20 k. l per day capcity

Pulp making, pulp processing and paper making Coking of coal washing of blast furnace flue gases ;

Stripping of exides ;

Washing of used sand by hydraulic discharge

Washing of latex etc.

Solvent extraction.

3. All such industries which do not use fuel in their manufacturing process or in any subsidiary process and which do not emit fugitive emissions of a diffused nature.

Industries not satisfying any one of the three criteria are recommended to be referred to Ministry of Environment & Forests.

The following industries appear to fall in non-hazardous, non-obnoxious and non-polluting category, subject to fulfilment of above three conditions :

1. Atta-chakkies.
2. Rice Mullors.
3. Iceboxes.
4. Dal Mills.
5. Groundnut decorticating (dry).
6. Chilling.
7. Tailoring and garment making.
8. Apparel making
9. Cotton and woollen Hosiery.
10. Handloom weaving.
11. Shoe lace manufacturing.
12. Gold and silver thread and sari work
13. Gold and silver smithy.
14. Leather foot wear and leather products excluding tanning & hide processing.
15. Manufacture of mirror from glass and photo frame.
16. Musical instruments manufacturing.
17. Sports goods.
18. Bamboo and cane products (only dry operations).
19. Card Board and paper products (Paper & pulp manufacture excluding).
20. Insulation and other coated papers (Paper & pulp manufacture excluded).
21. Scientific and Mathematical instruments.
22. Furniture (Wooden and Steel).
23. Assembly of Domestic electrical appliances
24. Radio assembling.
25. Fountain pens.
26. Polythene, plastic and P. V. C. goods through extrusion|moulding.
27. Surgical gauges and bandages.
28. Railway sleepers (only concrete).
29. Cotton spinning and weaving.
30. Rope (cotton and plastic).
31. Carpet weaving.
32. Assembly of Air coolers.
33. Wires, pipes-extruded shapes from metals.
34. Automobile servicing & repair stations.
35. Assembly of Bicycles, baby carriages and other small non-motorized vehicles.
36. Electronics equipment (assembly).
37. Toys.
38. Candles.
39. Carpentary—excludng saw mill.
40. Cold Storages (small scale).
41. Restaurants.
42. Oil-ginning|expelling (no-hydrogenation and no refining).
43. Ice cream.
44. Mineralized water.
45. Jobbing & machining.
46. Manufacture of steel trunks & suitcases.
47. Paper pins & U-clips.
48. Block making for printing.
49. Optical frames.

CATEGORY ORANGE

B. LIST OF INDUSTRIES THAT CAN BE PERMITTED IN THE DOON VALLEY WITH PROPER ENVIRONMENTAL CONTROL ARRANGEMENTS

1. All such industries which discharge some liquid effluents (below 500 kl|day) that can be controlled with suitable proven technology.

2. All such industries in which the daily consumption of coal|fuel is less than 24 mt|day and the particulars emissions from which can be controlled with suitable proven technology.

3. All such industries employing not more than 500 persons.

The following industries with adoption of proven pollution control technology subject to fulfilling the above three condition fall under this category :

1. Lime manufacture-pending decision on proven pollution control device and Supreme Court's decision on quarring.
2. Ceramics
3. Sanitary-ware;
4. Tyres and tubes
5. Refuse incineration (controlled)
6. Flour mills;
7. Vegetable oils including solvent extracted oils;
8. Soap without steam boiling process and synthetic detergents formulation.
9. Steam generating plants.
10. Manufacture of office and house-hold equipment and appliances involving use of fossil fuel combustion.
11. Manufacture of machineries and machine tools and equipment.
12. Industrial gases (only Nitrogen, Oxygen and Co2)
13. Miscellaneous glasswrae without involving use of fossil-fuel combustion.
14. Optical glass
15. Laboratory ware.
16. Patroleum storage & transfer facilities.
17. Surgical and medical products including prophylactics and latex products.
18. Foot-wear (Rubber).
19. Bakery products, Biscuits & Confectioners.
20. Instant tea|coffee; cofee processing.
21. Malted food.
22. Manufacture of power driven pumps, compressors, refregeration units, fire fighting equipment etc.
23. Wire drawing (cold process) & bailing straps.
24. Steel furniture, fasteners etc.
25. Plastic processed goods.
26. Medical & Surgical instruments.
27. Acetylene (synthetic).
28. Glue & geletine.
29. Potassium permanganate.
30. Metalic sodium.
31. Photographic films, papers & photographic chemicals.
32. Surface coating industries.
33. Fragnances, fragours & food additives.
34. Plant nutrients (only manure).
35. Aerated water|soft drink.

NOTE :—

(a) Industries falling within the above identified list shall be assessed by the state pollution control Board and referred to the Union Department of Environment for consideration, before according No Objection Certificate.

(b) The total number of fuel burning industries that shall be permitted in the Valley will be limited by 8 tonnes per day or Sulphur Dioxide from all sources. (This corresponds to 400 tonnes per day Coal with 1 per cent sulphur.).

(c) Siting of Industrial areas should be based on sound criteria.

CATEGORY RED

C. LIST OF INDUSTRIES THAT CANNOT BE PERMITTED IN THE DOON VALLEY

1. All those industries which dischadge effluents a pollutiog nature at the rate of more than 500 kl|day and for which the natural course for sufficient dilution is not available, and effluents from which can not be controlled with suitable technology.

2. All such industries employing more than 500 persons|day.

3. All such industries in which the daily consumption of coal|fuel is more than 24 mt|day.

The following industries appear to fall under this category covered by all the points as above.

1. Ferrous and non-ferrous metal extraction, refining, casting forging alloy making processing etc.
2. Dry Coal Processing|Mineral processing industries like Ore sintering benefication, pelletization etc.
3. Phosphate rock processing plants.
4. Cement plants with horizental rotary kilns.
5. Glass and glass products involving use of coal.
6. Petroleum refinery.
7. Petro-chemical Industries.
8. Manufacture of lubricating oils and greases.
9. Synthetic rubber manufacture;
10. Coal, oil, wood or nuclear based thermal power plants.

11. Vanaspati, hydrogented vegetable oils for industrial purposes.
12. Sugar Mills (White and Khandasari).
13. Craft paper mills.
14. Coke oven by products and coaltar distillation products.
15. Alkalics.
16. Caustic soda.
17. Potash.
18. Electro-thermal products (artificial abrasives, Calcium carbide etc.)
19. Phosphorous and its compounds.
20. Acids and their salts (organic & inorganic).
21. Nitrogen compounds (Cyanides, cynamides and other nitrogen compounds).
22. Explosive (including industrial explosives, detonators & fuses).
23. Pthalic anhydride.
24. Processes involving chlorinated hydrocarbon.
25. Chlorine, flourine, bromine, iodine & their compounds.
26. Fertilizer industry.
27. Paper board and straw boards.
28. Synthetic fibres.
29. Insecticides, fungicides, herbicides & pesticides (basis manufacture & formulation).
30. Basic drugs.
31. Alcohol (Industrial or potable).
32. Leather industry including tanning and processing.
33. Coke making, coal liquification and fuel gas making industries.
34. Fibre glass production and processing.
35. Manufacture of pulp-wood pulp; machanical or chemical (including dissolving pulp).
36. Pigment dayes and their intermediates.
37. Industrial carbons (including graphite electrodes, anodes midget electrodes, graphite blocks, graphite crucibles, gas carbons activated carbon, synthetic diamonds, carbon black, channel black; lamp black etc.)
38. Electro-Chemicals (other than these covered under Alkali group).
39. Paints, enamels & varnishes.
40. Poly propylene.
41. Poly Vinyl chloride.
42. Cement with vertical shaft kiln technology pending certification of proven technology on pollution control.
43. Chlorates, perchlorates & peroxides.
44. Polishes.
45. Synthetic resin & plastic producrs.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988